भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

आदेश

अजमेर जुलाई 29,1997

संख्या पृ 8(च) नियम/स्वाशावि/96/3896.– राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 88 के खण्ड (ए) सपठित धारा 78 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा संलग्न नगर निगम/परिषद् /पालिका अजमेर (समितियों के कर्तव्य एवं प्रबंधात्मक कृत्यों के प्रयोजनार्थ अधिकार हस्तान्तरण संबंधी) के नियम 1997 जो नगर निगम/परिषद्/पालिका अजमेर द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये है, स्वीकृति प्रदान करती है।

नगर परिषद् अजमेर

महासमिति की साधारण सभा दिनांक 27.02.97 को 1 बजे हुए सभा का उद्धरण :

नगर परिषद, अजमेर की समितियों को (शक्तियों, कर्तव्यों, एवं कार्य के प्रत्योजन) नियम, 1996 :–

1– 1. ये नियम नगर परिषद, अजमेर की समितियों को (शक्तियों, कर्तव्यों, एवं कार्य के प्रत्योजन) नियम, 1997 कहलायेंगे।
2. ये नियम नगर परिषद, अजमेर पर लागू होंगे।
3. ये नियम राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

2– **निरसन**:– इन नियमों के लागू होने पर पूर्व में प्रचलित नियम उपनियम निरस्त माने जावेंगे एवं इन नियमों के संबंधित मामलों के लिये प्रचलित समस्त नियम, उपनियम, विनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही इन नियमों को अन्तर्गत की गई समझी जावेगी और वैध मानी जावेगी।

3– **परिभाषाएं**:– जब तक विषय या प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों के प्रयोजनार्थ शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार होगी। इनके अतिरिक्त इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा वही होगी जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 में परिभाषित है।

1. **अधिनियम/नियम**:– अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 से होगा व नियम से तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों से होगा।
2. **आयुक्त**:– आयुक्त से तात्पर्य नगर परिषद अजमेरं के आयुक्त से होगा। आयुक्त (प्रशासन) व आयुक्त (विकास) दोनों सम्मिलित होंगे।
3. **परिषद्**:– परिषद् से तात्पर्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित नगर परिषद अजमेर से होगा।
4. **प्राधिकारी**:– प्राधिकारी से तात्पर्य सभापति, उप सभापति, किसी भी समिति के अध्यक्ष या आयुक्त से होगा जिसकी भी शक्ति, कर्तव्य एवं कार्य का प्रत्योजन किया जावेगा।

4– **अधिनियम की धारा 73 (1) व 73 (3) के अन्तर्गत निम्न कमेटियों/ समितियों का गठन किया जाता है**:–

1. प्रबंधात्मक समिति/कमेटी
2. वित्त समिति/कमेटी
3. स्वास्थ्य एवं सफाई समिति/कमेटी
4. भवन व निर्माण कार्य समिति/कमेटी
5. नियम उप नियम कमेटी/ समिति
6. सार्वजनिक वाहन समिति/कमेटी

5– **समितियों/कमेटीयों को प्रत्योजित की जाने वाली शक्तियां, कर्तव्य, एवं कार्य**:– परिषद् के अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों के किसी भी तथ्य के विपरीत अर्थ न होने पर शक्तियां, कर्तव्य व कार्य को प्रत्योजन अधिनियम की धारा 78 (1) के अन्तर्गत समितियों को करेगी तथा समस्त समितियां इनके समक्ष अंकित धाराओं में वर्णित अधिकार कर्तव्य कार्यो का निष्पादन, निर्वहन व प्रयोग करेगी तथा समितियों द्वारा किया गया कार्य यह समझा जावेगा कि वह कार्य परिषद् की ओर से परिषद् द्वारा किया गया कार्य है।

6– **अधिनियम की धारा 73 (1) व (3) के अन्तर्गत व राजस्थान नगर पालिका (समितियों का गठन) संबंधी नियम 1996 के नियम 3 के अन्तर्गत गठित कमेटियों को दी जाने वाली शक्तियां**:–

1. प्रबन्धात्मक समिति/कमेटी:– यह समिति अधिनियम में वर्णित निम्न धाराओं की शक्ति, कर्तव्य व कार्यो का निष्पादन निर्वहन व प्रयोग करेंगी।
   (1) धारा 80, 92, 230, 262, 263, 266, 309
2. यह समिति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम/नियम/बायलॉज के अन्तर्गत सभी प्रकार के क्षतिपूर्ति के मामले निर्धारित करेगी तथा जो क्षतिपूर्ति अधिनियम/नियम /बायलॉज के अन्तर्गत निर्धारित की जावेगी उसके भुगतान संबंधी कार्यवाही के निर्देश जारी करेगी।
3. यह समिति राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अध्याधीन रहते हुए अधिनियम की धारा 308 व 309 की कार्यवाही राज्य सरकार को प्रेषित कर सकेगी।
4. समस्त प्रशासनिक व प्रबन्धात्मक कार्य परिषद हित में करने का निर्णय लेगी।

2. **वित्त समिति/कमेटी**:– यह समिति अधिनियम में वर्णित निम्न धाराओं की शक्ति, कर्तव्य व कार्यो का निष्पादन निर्वहन व प्रयोग करेगी। 102,103,137 (5) 138, के अतिरिक्त 277,278 उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत बने नियम एवं उपनियम शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगी।

3. **स्वास्थ्य एवं सफाई समिति/कमेटी**:– यह समिति अधिनियम में वर्णित निम्न धाराओं की शक्ति, कर्तव्य व कार्यों का निष्पादन निर्वहन व प्रयोग करेगी। 206, 207, 208, 210, 211, 213, 214(3), 215, 216, 220, 222, 224, 225, 227, 228, 234, 236, 239, 240, 245, 246, 248, उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत बने नियम एवं उप नियम शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगी।

4. **भवन व निर्माण कार्य समिति**:– यह समिति अधिनियम में वर्णित निम्न धराओं को शक्ति, कर्तव्य व कार्यो का निष्पादन निर्वहन व प्रयोग करेगी। धारा 161 (अधिनियम की धारा 82 के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए) 162,162, (5) के अतिरिक्त 163,164,164 (5) के अतिरिक्त 165,165 (5) के अतिरिक्त 167 अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अध्याधीन रखते हुए 168 (2) के प्रावधानों के अध्याधीन रखते हुए 169,170, (12,13,14,15 के

अतिरिक्त) 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 194, 197.

उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत बने नियम एवं उपनियम शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा ।

5. **नियम–उपनियम समिति/कमेटी** :– 1. यह समिति/कमेटी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत नियम व धारा 90 के अन्तर्गत उप नियम तैयार कर बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।
   2. यह समिति धारा 80 व 92 के अन्तर्गत तैयार होने वाले दस्तावेजों का अनुमोदन कर बोर्ड को अथवा संबंधित कमेटी को प्रस्तुत करेगी।
   3. यह समिति धारा 89 की शक्तियों का भी प्रयोग करते हुए प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भिजवायेगी।

6. **सार्वजनिक वाहन समिति/कमेटी** :– यह समिति अधिनियम/नियम/उपनियमों में वाहनों का नियन्त्रण अथवा वाहनों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव/सुझाव बोर्ड को प्रस्तुत करेगी एवं अधिनियम की धारा 129 के अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी।

7. **1996 के नियम 3(2) के अन्तर्गत गठित समिति/कमेटी** :–

   (1) नेहरू रोजगार समिति
   (2) विधुत कमेटी
   (3) गृहकर रिवाईजिंग कमेटी
   (4) सतर्कता समिति
   (5) उघान कमेटी
   (6) वर्क शाप कमेटी
   (7) सांस्कृतिक प्रोग्राम समिति
   (8) पुस्तकालय समिति

8. **अधिनियम की धारा 73(5) व राजस्थान नगर पालिका समितियों के गठन संबंधी नियम 1996 के नियम 3(2) के अन्तर्गत गठित समितियों को दी जाने वाली शक्तियां** :–
   (1) नेहरू रोजगार समिति/कमेटी :– यह कमेटी नेहरू रोजगार योजना एवं शहरी गरीबी उन्मूलन (यू.बी.एस.पी.) कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करवाने में सहयोग प्रदान करेगी तथा जहां पर इन कार्यक्रमों में बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता होगी उन योजनाओं में बोर्ड के स्थान पर यह समिति बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग करेगी।
   (2) विधुत कमेटी :– यह कमेटी परिषद् सीमाओं में रोशनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समस्त कार्य जो अधिनियम व नियमों के विपरीत नहीं है करेगी एवं रोशनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु अपने प्रस्ताव बोर्ड को अथवा संबंधित समिति /कमेटी को प्रस्तुत करेगी।
   (3) गृहकर रिवाईजिंग कमेटी :– यह कमेटी अधिनियम की धारा 117(4)(5), 118, 119, 124, 126, 129, इन धाराओं के अन्तर्गत बने नियम व उप नियमों के अधिकारों का भी प्रयोग कर सकेगी।
   (4) सतर्कता समिति :– यह समिति समस्त प्रकार के कर चोरी के मामलों व परिषदों में होने वाली अनियममितता के बारे में जांच करेगी।
   (5) उघान एवं वाटिका समिति :– 1. यह समिति अधिनियम की धारा 199 की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी।

2. यह समिति परिषद् सीमा में परिषद् के समस्त उधान एवं वाटिका की व्यवस्था को सुचारू रुप से चलाने के लिये समस्त कार्य जो अधिनियम व नियम के विपरीत नहीं है कर सकेगी।

(6) कार्यशाला व रख रखाव समिति :– 1. यह समिति अधिनियम की धारा 217 के शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी।

2. यह समिति नगर परिषद द्वारा संचालित ट्राम्बे स्टेशन, गंज गोदाम व नगर परिषद् की अन्य सम्पतियों के रख रखाव के संबंध में सुझाव बोर्ड को प्रस्तुत करेगी व ट्राम्बे स्टेशन, गंज गोदाम व अन्य गोदाम जो परिषद् के हैं उनकी कार्य प्रणाली व अनियमितताओं की जांच कर सकेगी।

(7) सांस्कृतिक प्रोग्राम समिति :– 1. यह समिति अजमेर नगर परिषद् द्वारा आयोजित करने वाले समस्त प्रकार कें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु अपने सुझाव बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

(8) पुस्तकालय समिति :– 1. यह समिति पुस्तकालय के रख रखाव संबंधी सुझाव प्रस्तुत करेगी व पुस्तकालय में होने वाली अनियमित्ताओं की जांच कर सकेगी।

2. पुस्तकालय में क्रय होने वाली पुस्तको की स्वीकृति जारी कर सकेगी।

9. परिषद् विशेष परिस्थितियों में अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के महासमिति में प्रस्ताव पारित कर किसी भी शक्ति, कर्तव्य व कार्य पर अंकुश लगा सकती हैं अथवा किसी धारा, नियम, उपनियम की शक्तियों का पुनः प्रत्योजन भी कर सकती है।

10. प्रत्येक समिति अधिनियम की धारा 90 के अन्तर्गत अपने से संबंधित धाराओं के अन्तर्गत उपनियम बनाने हेतु प्रस्ताव भिजवा सकेगी।

11. अधिनियम की किसी भी धारा की किसी शक्ति का प्रत्योजन नहीं किया गया और उक्त शक्ति का संबंध में प्रत्योजित शक्ति का संबंध में प्रत्योजित शक्ति से है अथवा प्रत्योजित शक्ति के क्रम है तो यह समझा जावेगा कि अधिनियम को उक्त धारा की शक्तियों एवं कर्तव्य इतयादि का प्रत्योजन संबंधित समिति को किया गया है तथा संबंधित समिति उक्त धारा के अन्तर्गत शक्तियो, कर्तव्यों इत्यादि का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगी।

12. अधिनियम, नियम, उपनियम की किसी भी धारा, नियम या उपनियम में यह उल्लेख है कि बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी उस प्रयोजन में बोर्ड की शक्ति, कर्तव्य व अधिकारों के प्रत्योजन हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है व जहां (आयुक्त व अन्य अधिकारी) का उल्लेख है वहां आयुक्त के अतिरिक्त संबंधित विभाग के विभागाधिकारी उक्त शक्ति, कर्तव्य व अधिकारों के प्रयोग करने के लिए सक्षम होगें।

13. समिति द्वारा अधिनियम में वर्णित निम्न धाराओं की शक्तियों, कर्तव्य व कार्य आयुक्त नगर परिषद् को प्रत्योजित किये जाते है :–

149,150,155,170,(11),198,200,203,255,253,254,

14. **समितियों की आज्ञा के विरूद्ध अपील** :– उक्त समितियें की आज्ञा के विरूद्ध अधिनियम की धारा 77(2) के अन्तर्गत मण्डल के निर्णय की सूचना से एक माह अवधि में अपील बोर्ड को की जा सकेगी।

15. **समितियों की शक्ति के प्रयोजन पर प्रतिबंध** :– उपरोक्त वर्णित धाराओं में कोई बात होते भी ऐसी कोई भी शक्तियां जो राज्य सरकार अथवा नियमों के अन्तर्गत आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत अधिकारी को सौंपी गयी है अथवा सौंपी जाने वाली समितियों को प्रत्योजित नहीं की जा सकेगी एवं यदि पूर्व में उक्त शक्तियों समितियों को प्रत्योजित नही की जा सकेगी एवं यदि पूर्व में उक्त शक्तियां समितियों को प्रत्योजित कर दी गई हो तो उस सीमा तक यह शक्तियां प्रत्यहित समझी जावेगी।

आज्ञा से

सी. आर. चौधरी,
निदेशक एवं उपं शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर

क्रमांक : एफ8 (ग) नियम/सा.क्रय/डीएलबी/94/879 दिनांक : 16.02.99

परिपत्र

राजस्थान नगर पालिका (सामान क्रय एवं अनुबन्ध) नियम, 1974 के नियम 14(1) में संशोधन कर अधिसूचना संख्या एफ(8) विविध/नियम/एलएसजी/95/2739 दिनांक 13.06.96 एवं अधिसूचना संख्या एफ 8(ग) नियम/सा.क्रय/डी.एलबी/94/2237 दिनांक 11.05.98 द्वारा महापौर/सभापति/अध्यक्ष को वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की गई थीं। पुनः नियम 14(1) में संशोधन कर अधिसूचना संख्या एफ 8(ग) नियम/सा.क्रय/डीएलबी/94/4349/दिनांक 28.12.98 जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 29.12.98 के भाग 6(क) के पृष्ठ संख्या 199 में हो चुका हैं, द्वारा महापौर/सभापति/अध्यक्ष को प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रत्याहरित कर ली गई हैं। इस प्रकार दिनांक 29.12.98 से महापौर/सभापति/अध्यक्ष को नियम 14(1) के अन्तर्गत कोई वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां नही रहीं हैं। नियम 14(1) में स्पष्ट प्रावधान हैं कि सक्षम प्राधिकारी से पूर्व वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ही सामान क्रय एवं अनुबन्ध करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

हस्ताक्षर
निदेशक

सं0 एफ 8(ग) नियम/सा.क्रय/डीएलबी/94/880–1296 दिनांक : 16.02.99

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान (कृपया इस परिपत्र की प्रतिलिपि अपने अधिकारी क्षेत्र के समस्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को पृष्ठांकित कर दे।
2. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज. जयपुर।
3. उप निदेशक, क्षैत्रीय स्थानीय निकाय जयपुर /जोधपुर/उदयपुर/ कोटा/बीकानेर/ अजमेर।
4. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल।
5. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल (इस परिपत्र की प्रतिलिपि संबंधित लोकसभा सदस्य/विधायक एवं पार्षद/सदस्य को पृष्ठांकित करदे।)
6. समस्त सहायक निदेशक (पूर्व जांच दल) नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल
7. समस्त अनुभाग, निदेशालय
8. सुरक्षित पत्रावली

हस्ताक्षर
निदेशक

प्रतिलिपि :–
1– श्री _____ को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

आयुक्त
नगर परिषद, अजमेर